उत्तर रेलवे

सूचना

श्री महेन्द्र कुमार, पुत्रः श्री रामेश्वर दयाल, हाऊसकीपिंग सहायक (सफाईवाला) अधीन मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, मंडल रेलवे चिकित्सालय, मुरादाबाद, निवासी–मो. वीरभट्टी, सुभाषनगर, बरेली, उ.प्र. को दिनांक 26.02.2021 को दैनिक समाचार पत्रों में सूचना द्वारा अपनी ड्यूटी पर तुरंत रिपोर्ट करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। परंतु श्री महेन्द्र कुमार न तो स्वयं कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा किसी माध्यम से कोई सूचना अथवा प्रत्युत्तर कार्यालय में प्रस्तुत किया है। अतः मानक फार्म सं. Med/D&AR/Mahendra Kr./2020 दिनांक 28.11.2020 में श्री महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल पर लगाए गए विरचित आरोपों के संदर्भ में उन्हें अनुशासनात्मक एवं अपील नियम, 1968 के अंतर्गत नियम सं. 3 (i), (ii) एवं (iii) का उल्लंधन करने का दोषी सिद्ध पाया जाता है तथा महेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल को तुरंत प्रभाव से रेलवे सेवा से निष्कासित (Removal from service) किया जाता है। संबंधित कार्यालीय प्रपत्र श्री महेन्द्र कुमार के आवासीय पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दिए गए हैं।

कृते **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक**
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद

2096/2021

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ